रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-ए.पी.-अ.-10122022-240973 CG-AP-E-10122022-240973

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] No. 635]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्रहायण 18, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसचना

हैदराबाद, 5 दिसम्बर, 2022

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनि./5/184/2022. —बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जेडडी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- क. ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2022 कहलाएँगे।
- ख. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017 और उसके बाद किये गये कोई भी संशोधन इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से निरस्त हो जाएँगे।
- ग. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- घ. इन विनियमों की समीक्षा अधिसूचना की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, जब तक समीक्षा अथवा निरसन अथवा संशोधन की आवश्यकता इससे पहले उत्पन्न नहीं होती।

2. परिभाषाएँ.—

- क. इन विनियमों में, जब तक संदर्भ के द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो--
 - i. "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

8197 GI/2022 (1)

- ii. "बीमांकक" से बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (क) में यथापरिभाषित बीमांकक अभिप्रेत है:
- iii. "नियुक्त बीमांकक" से इन विनियमों के विनियम 3(क) में उल्लिखित बीमांकक अभिप्रेत है;
- iv. "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है:
- v. "भारतीय बीमांकक संस्थान" से बीमांकक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 3 के अधीन स्थापित सांविधिक निकाय अभिप्रेत है;
- vi. "व्यावसायिक मानक" से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा अपने सदस्यों के लिए मार्गदर्शी नोट/व्यवहार मानक के निर्गम द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवहार का मानक अभिप्रेत है।
- ख. यहाँ इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों में उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया .---

- क. भारत में बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत बीमाकर्ता इन विनियमों के विनियम 3(ख) और विनियम 3(च) के अधीन, बीमांकक को नियक्त करता है, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए `नियक्त बीमांकक' के रूप में जाना जाएगा।
- ख. बीमाकर्ता के लिए नियुक्त बीमांकक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कोई व्यक्ति पात्र होगा, यदि वहः
 - i. साधारणतः भारत का निवासी है;
 - ii. बीमांकक अधिनियम, 2006 के अनुसार एक फेलो सदस्य है;
 - iii. जीवन बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला, भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्य है;
 - क. जीवन बीमा के क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष का अनुभव रखता/रखती है तथा उसमें से कम से कम 7 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा। बशर्ते कि, यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान से अथवा किसी ऐसे संस्थान या निकाय से जिसके साथ आईएआई का पारस्परिक मान्यता करार हो, जीवन बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग अथवा विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण किया है, तो ऊपर विनियम 3(ख)(iii)(क) में यथाउल्लिखित फेलोशिप के बाद के अनुभव सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष कम किया जाएगा।
 - ख. विनियम 3ख(iii)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में 7 वर्ष अथवा 5 वर्ष, जैसा लागू हो, में से कम से कम 3 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव किसी भारतीय जीवन बीमाकर्ता के संबंध में वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन की तैयारी अथवा समीक्षा अथवा उत्पाद के कीमत-निर्धारण में होगा। उपर्युक्त के बावजूद, जीवन बीमा के क्षेत्र में जीवन पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समकक्ष समीक्षक अथवा स्वतंत्र बीमांकक अथवा पैनल बीमांकक अथवा बीमांकक के रूप में अनुभव अथवा जीवन बीमा व्यवसाय में बीमांकिक परामर्श कार्य में अथवा प्राधिकरण के पास संबंधित अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।
 - ग. कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम अथवा वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।
 - iv. साधारण बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्यः
 - क. साधारण बीमा के क्षेत्र में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव तथा उसमें से कम से कम 4 वर्ष का अनुभव फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा। बशर्ते कि, यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान से अथवा किसी अन्य संस्थान अथवा निकाय से जिसके साथ आईएआई का पारस्परिक मान्यता करार हो, साधारण बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग अथवा विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण किया है, तो विनियम 3(ख)(iv)(क) में यथाउल्लिखित फेलोशिप के बाद के अनुभव के मानदंड सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष कम किया जाएगा।
 - ख. विनियम 3ख(iv)(क) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में 4 वर्ष अथवा 2 वर्ष, जैसी स्थिति हो, में से कम से कम 2 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव किसी भारतीय साधारण बीमाकर्ता के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन अथवा उत्पाद के कीमत-निर्धारण की तैयारी अथवा समीक्षा में होगा।

उपर्युक्त के बावजूद, साधारण बीमा के क्षेत्र में साधारण बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समकक्ष समीक्षक अथवा पैनल बीमांकक अथवा बीमांकक के रूप में अनुभव अथवा साधारण बीमा व्यवसाय में बीमांकिक परामर्श कार्य में अनुभव अथवा प्राधिकरण के पास संबंधित अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।

- ग. कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम अथवा वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की भूमिका में होगा।
- v. स्वास्थ्य बीमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनेवाला भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) का फेलो सदस्यः
 - क. साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कम से कम 9 वर्ष का अनुभव तथा उसमें से कम से कम 4 वर्ष फेलोशिप के बाद का अनुभव होगा। बशर्ते कि, यदि आवेदक ने भारतीय बीमांकक संस्थान से अथवा किसी अन्य संस्थान या निकाय से जिसके साथ आईएआई का पारस्परिक मान्यता करार हो, साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा में विशेषज्ञ अनुप्रयोग अथवा विशेषज्ञ उन्नत स्तरीय विषय उत्तीर्ण किया है, तो विनियम 3(ख) (v)(क) में यथाउल्लिखित फेलोशिप के बाद के अनुभव के मानदंड सहित अनुभव के मानदंड को 2 वर्ष कम किया जाएगा।
 - ख. विनियम 3(ख)(v)(क) में यथाउल्लिखित 4 वर्ष अथवा 2 वर्ष, जैसा लागू हो, में से कम से कम 2 वर्ष का फेलोशिप के बाद का अनुभव किसी भारतीय साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता के वार्षिक सांविधिक मूल्यांकन अथवा उत्पाद के कीमत-निर्धारण की तैयारी अथवा समीक्षा में होगा। उपर्युक्त के बावजूद, साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में साधारण अथवा स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए पुनर्बीमा विवरणियों को प्रमाणित करनेवाले समकक्ष समीक्षक अथवा पैनल बीमांकक अथवा बीमांकक के रूप में अनुभव अथवा साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में बीमांकिक परामर्श कार्य में अनुभव अथवा प्राधिकरण के पास संबंधित अनुभव पर भी विचार किया जाएगा।
 - ग. कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मध्यम अथवा वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन में होगा।
- vi. पूर्णकालिक आधार पर बीमाकर्ता का कर्मचारी;
- vii. एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई व्यावसायिक अथवा अन्य कदाचार नहीं किया है;
- viii. भारत में किसी अन्य बीमाकर्ता का नियुक्त बीमांकक नहीं है;
- ix. एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किया गया व्यवहार (प्रैक्टिस) का प्रमाणपत्र है;
- x. 70 वर्ष से अधिक आयु का/की नहीं है।
- ग. इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार वर्तमान नियुक्त बीमांककों के लिए व्यवस्थाः

इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख की स्थिति के अनुसार वर्तमान नियुक्त बीमांकक संबंधित बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के रूप में जारी रहने के लिए पात्र हैं।

- घ. बीमाकर्ता समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जानेवाले फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करते हुए नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।
- ङ. प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर उसे स्वीकार करेगा अथवा अस्वीकार करेगा।
 - बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने से पहले प्राधिकरण बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक अवसर देगा।
- च. बीमाकर्ता जो विनियम 3(ख) के अनुसार नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति करने में असमर्थ है, पात्रता की शर्तों में से किसी शर्त की छूट देने के लिए लिखित में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण एक अथवा उससे अधिक शर्तों से छूट प्रदान कर सकता है। तथापि, विनियम 3(ख)(ii), 3(ख)(vii) और 3(ख)(ix) के अंतर्गत शर्तों के संबंध में कोई छूट नहीं होगी।
- छ. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख को अथवा उसके बाद प्रभावी होगी।
- 4. आवेदन को अस्वीकार करने का प्रभाव.--- बीमाकर्ता विनियम 3(ङ) के अंतर्गत उल्लिखित, आवेदन की अस्वीकृति से चार सप्ताह के अंदर विनियम 3(ङ) के अंतर्गत अपने द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति को छोड़कर नियुक्त बीमांकक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए विनियम 3(घ) के अंतर्गत प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 5. नियक्त बीमांकक के बिना व्यवसाय का संचालन करना.---
 - क) कोई भी बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के बिना बीमा/पुनर्बीमा व्यवसाय का संचालन नहीं करेगा। इस संबंध में किसी भी अननुपालन के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के संबंधित उपबंधों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाइयाँ की जाएँगी।

- ख) प्राधिकरण, विनियम 5(क) के अंतर्गत उपबंधों से छूट के लिए बीमाकर्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर उपयुक्त समझे गये रूप में ऐसी अवधि के लिए छूट प्रदान कर सकता है, परंतु यह एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- ग) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऊपर विनियम 5(ख) के अंतर्गत उल्लिखित छूट पर विचार करने के लिए अस्थायी उपबंधों के संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी कर सकता है।

6. नियुक्त बीमांकक की नियुक्ति का समापन .---

- क. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन को वापस लेने की नोटिस नियुक्त बीमांकक को निम्नलिखित कारणों पर दी जाएगीः
 - i. विनियम (3) के उप-विनियम (ख) के अनुसार उसका पात्र होना समाप्त हो जाता है, अथवा;
 - ii. कि उसने प्राधिकरण की राय में इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों और दायित्वों का पर्याप्त रूप से और उचित रूप से निष्पादन नहीं किया है।
- ख. प्राधिकरण ऐसे नियुक्त बीमांकक को एक नोटिस देने के बाद उसे अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा तथा उसके बाद अनुमोदन को वापस लेते हुए अथवा जारी की गई नोटिस का निरसन करते हुए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।
- ग. यदि किसी व्यक्ति का विनियम 6(क) में उल्लिखित कारणों को छोड़कर अन्य प्रकार से बीमाकर्ता का नियुक्त बीमांकक रहना समाप्त होता है, तो बीमाकर्ता और नियुक्त बीमांकक इसके लिए कारण प्राधिकरण को ऐसी सेवा-समाप्ति से एक सप्ताह के अंदर सचित करेंगे।
- घ. बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक के साथ परामर्श करने के बाद नियुक्त बीमांकक की सेवाओँ के समापन से उत्पन्न होनेवाले वार्षिक सांविधिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण में विलंब से बचने के लिए प्रयास करेगा।

7. नियुक्त बीमांकक की शक्तियाँ:---

- क. नियुक्त बीमांकक की पहुँच बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा उसके नियंत्रण में विद्यमान ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेजों तक होगी यदि वह पहुँच नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक है।
- ख. नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से इन विनियमों के विनियम 7(क) के प्रयोजन के लिए किसी भी सूचना की अपेक्षा कर सकता है।
- ग. नियुक्त बीमांकक निम्नलिखित के लिए पात्र होगाः
 - i. बीमाकर्ता के निदेशकों की बैठक सहित, प्रबंधक-वर्ग की बैठकों में तथा बीमाकर्ता के शेयरधारकों अथवा पालिसीधारकों की बैठकों में उपस्थित होना, ऐसे किसी भी विषय पर बोलना और चर्चा करना,---
 - क. जो निदेशकों को दिये गये बीमांकिक परामर्श से संबंधित है:
 - ख. जो बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता को प्रभावित कर सकता है;
 - ग. जो पालिसीधारकों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता के सामर्थ्य को प्रभावित कर सकता है; अथवा
 - घ. जिस पर बीमांकिक परामर्श आवश्यक है।
- घ. नियुक्त बीमांकक, नियुक्त बीमांकक के रूप में अपने कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन केलिए

बीमाकर्ता को कोई भी वक्तव्य देने के लिए पात्र होगा। यह किन्हीं अन्य विनियमों के

अंतर्गत नियुक्त बीमांकक को प्रदत्त किसी अन्य विशेषाधिकार के अतिरिक्त है।

- ङ. नियुक्त बीमांकक के नियुक्ति-पत्र का कोई भी उपबंध इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों, दायित्वों और विशेषाधिकारों को प्रतिबंधित अथवा निवारित नहीं करेगा।
 - 8. कर्तव्य और दायित्व.--- विशेष रूप से और पूर्वोक्त विषयों पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना, तथा बीमा उद्योग और पालिसीधारकों के हित में, बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों और दायित्वों में निम्नलिखित शामिल होंगे:---
 - बीमाकर्ता की देयताओं और आस्तियों का बीमांकिक मूल्यांकन संचालित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक अभिलेख उसे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना;
 - बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श प्रदान करना, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा वाक्यरचना, निवेश और पुनर्बीमा के क्षेत्रों में;
 - iii. क. हर समय शोधन-क्षमता बनाये रखने के लिए बीमाकर्ता के सामर्थ्य के साथ संबद्ध जोखिमों की पहचान और निगरानी करना;

- ख. बीमाकर्ता के बोर्ड को उन जोखिमों की सचना देना जहाँ नियक्त बीमांकक विश्वास करता है कि ऐसे महत्वपर्ण सरोकार हैं जो बीमाकर्ता की शोधन-क्षमता को प्रतिकृल रूप से प्रभावित कर सकते हैं तथा साथ ही, शोधन-क्षमता की स्थिति को सुधारने के लिए की जानेवाली कार्रवाइयों पर सिफारिशें करना एवं प्राधिकरण को सुचित करना यदि बीमाकर्ता स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाता:
 - अधिनियम की धारा 64वी के उपबंधों का अनुपालन इस धारा के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से मुल्यांकित की गई iv. आस्तियों और देयताओं के प्रमाणीकरण के संबंध में करना:
 - अधिनियम की धारा 64वीए के उपबंधों का अनुपालन इस धारा के अंतर्गत अपेक्षित तरीके से शोधन-क्षमता ٧. मार्जिन के आवश्यक नियंत्रण स्तर को बनाये रखने के संबंध में करना:
 - बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग का ध्यान ऐसे किसी भी विषय की ओर आकर्षित करना जिसके संबंध में उसका विचार है vi. कि अधिनियम के ऐसे किसी स्वरूप के उल्लंघन से बचने के लिए बीमाकर्ता द्वारा कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो पालिसीधारकों के हितों को प्रभावित कर सकता है:
 - समय-समय पर प्राधिकरण के निदेशों का अनुपालन करना:
 - viii. यह सुनिश्चित करना कि बीमाकर्ता की समग्र कीमत-निर्धारण नीति बीमाकर्ता की समग्र जोखिम-अंकन और दावा प्रबंध नीति के अनुरूप है:
 - ix. पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता को सुनिश्चित करना;
 - जोखिम प्रबंध प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान करना;
 - प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना के संबंध में अधिनियम की धारा 21 के उपबंधों का अनुपालन करना;
 - xii. उपर्युक्त के अतिरिक्त, जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित
 - क. अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश तथा अन्य विवरणियों का प्रमाणीकरण करना:
 - ख. उन पालिसीधारकों को जिनकी पालिसियाँ मृत्यु अथवा अंतर-मृल्यांकन अवधि के दौरान अन्य प्रकार के कारण से भुगतान के लिए परिपक्व होते हैं, जीवन बीमाकर्ता द्वारा देय अंतरिम बोनस अथवा बोनसों की सिफारिश के संबंध में अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों का अनुपालन करना;
 - ग. बीमाकर्ता के प्रबंधन-व्ययों के संबंध में बीमांकिक परमर्श देना:
 - घ. यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;
 - ङ. यह प्रमाणित करना कि गणितीय आरक्षित निधियों (मैथमेटिकल रिज़र्वों) का निर्धारण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के वर्तमान उपबंधों के अनुसार तथा भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी नोटों/बीमांकिक व्यवहार मानक एवं प्राधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं निदेशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है;
 - च. यह सुनिश्चित करना कि पालिसीधारकों की उचित अपेक्षाओं पर देयताओं के मुल्यांकन और सहभागी पालिसीधारकों, जो अधिशेष के अंश के लिए पात्र हैं, को अधिशेष के वितरण के विषय में विचार किया गया है:
 - छ. बीमांकिक परामर्श बीमा उद्योग और पालिसीधारकों के हित में प्रस्तुत करना;
 - ज. गणितीय रिज़र्वों के परिकलन का समन्वय करना:
 - झ. गणितीय रिज़र्वों के परिकलन में प्रयुक्त कार्यपद्धतियों और अंतर्निहित माडलों एवं किये गये पूर्वानुमानों के औचित्य को सुनिश्चित करना;
 - ञ. गणितीय रिज़र्वों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का आकलन करना;
 - ट. बीमाकर्ता के बोर्ड को गणितीय रिज़र्वों की विश्वसनीयता और पर्याप्तता के बारे में सूचित करना;
 - xiii. उपर्युक्त (i) से (xi) तक के अतिरिक्त, साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ता के नियुक्त बीमांकक के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
 - क. यह सुनिश्चित करना कि बीमा उत्पादों की प्रीमियम दरें उचित हैं;
 - ख. यह प्रमाणित करना कि उपगत परंतु सूचित नहीं किये गये दावों के लिए रिज़र्वों (आईबीएनआर) और अन्य रिज़र्वों (उपगत परंतु पर्याप्त रूप से सूचित नहीं किये गये दावों (आईबीएनईआर) और प्रीमियम

कमी रिज़र्व (पीडीआर) को मिलाकर) सहित दावा रिज़र्वों का निर्धारण बीमांकिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधन-क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के वर्तमान उपबंधों में निर्धारित तरीके से किया गया है:

- ग. बीमाकर्ता के प्रबंधन-व्ययों के संबंध में बीमांकिक परामर्श देना:
- **घ**. आईबीएनआर के लिए रिज़र्वों और अन्य रिज़र्वों (आईबीएनईआर और पीडीआर के लिए रिज़र्वों सहित) के परिकलन का समन्वय करना:
- **ङ**. आईबीएनईआर और पीडीआर के लिए रिज़र्वों सहित आईबीएनआर के लिए रिज़र्वों और अन्य रिज़र्वों के परिकलन में प्रयुक्त डेटा की पर्याप्तता और गुणवत्ता का आकलन करना;
- च. बीमाकर्ता के बोर्ड को आईबीएनईआर के लिए रिज़र्वों और पीडीआर सहित आईबीएनआर के लिए रिज़र्वों और अन्य रिज़र्वों की विश्वसनीयता और पर्याप्तता के बारे में सूचित करना;
- xiv. प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में एक उचित समय के अंदर अपनी राय लिखित में सूचित करना:
 - क. बीमाकर्ता द्वारा अधिनियम और किन्हीं अन्य अधिनियमों का कोई उल्लंघन ऐसे स्वरूप का है कि वह पालिसीधारकों अथवा बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पालिसियों के हिताधिकारियों के हितों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकता है;
 - ख. क्या बीमाकर्ता के निदेशकों ने ऐसी कार्रवाई नहीं की है जो इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का प्रयोग करने के लिए उसे समर्थ बनाने हेतु उचित रूप से आवश्यक है; अथवा
 - ग. क्या बीमाकर्ता का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी इन विनियमों के अंतर्गत उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने से उसे रोकने के लिए व्यवहार में लिप्त है।
- xv. यदि कोई नियुक्त बीमांकक, बीमांकक के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित किया जाता है, तो नियुक्त बीमांकक के रूप में उसकी विद्यमानता तत्काल समाप्त हो जाती है;
- xvi. अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करते समय नियुक्त बीमांकक सामान्यतः स्वीकृत बीमांकिक सिद्धांतों और प्रथाओं का उचित ध्यान रखेगा;
- xvii. नियुक्त बीमांकक किसी भी संस्था के द्वारा उसके विरुद्ध प्रारंभ गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूचना प्राधिकरण को इस प्रकार प्रारंभ किये जाने से सात दिन के अंदर देगा/देगी।

9. हितों का संघर्ष -

- **क**. नियुक्त बीमांकक इन विनियमों के अनुसार कार्य करेगा/करेगी, तथा वह किसी अन्य क्षमता में कार्य नहीं करेगा अथवा नहीं करेगी, जो इन विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकक के रूप में उसकी भूमिका निष्पादित करने में हितों के संघर्ष में परिणत हो सकता है;
- ख. बीमाकर्ता और नियुक्त बीमांकक, नियुक्त बीमांकक के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान हर समय उपर्युक्त विनियम 9(क) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

10. बीमाकर्ता के दायित्व -

- क. बीमाकर्ता नियुक्त बीमांकक को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करायेगा;
- ख. पर्याप्त बीमांकिक विशेषज्ञता निर्मित अथवा विकसित करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अविध के अंदर नियुक्त बीमांकक के अतिरिक्त, कीमत-निर्धारण और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए जीवन बीमाकर्ता अपने पास कम से कम दो बीमांकक रखेंगे तथा साधारण/स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कम से कम एक बीमांकक रखेंगे;
- ग. बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त बीमांकक को उसके कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहण करने में बीमाकर्ता के विभिन्न कार्य पर्याप्त समर्थन देंगे:
- घ. बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त बीमांकक प्राधिकरण के द्वारा जारी किये गये कंपनी अभिशासन दिशानिर्देशों के वर्तमान उपबंधों के अनुसार परिभाषित रूप में एक ही समय बीमाकर्ता के मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका निष्पादित नहीं करेगा/नहीं करेगी।
- ङ. बीमाकर्ता सुनिश्चित करेगा कि नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सीधे रिपोर्ट करेगा/करेगी।

11. पनर्बीमा व्यवसाय के लिए प्रयोज्यता -

भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे हुए किसी विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के मामले को छोड़कर, ये विनियम भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करनेवाले पुनर्बीमाकर्ताओँ के लिए लागु होंगे।

12. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति -

इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी उपबंध की प्रयोज्यता अथवा उसके अर्थ-निर्णय में उत्पन्न होनेवाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए, अध्यक्ष आवश्यक समझे गये रूप में उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./446/2022-23]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 5th December, 2022

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2022

F. No. IRDAI/Reg/5/184/2022. —In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act,1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following Regulations, namely: -

1. Short title and commencement. ----

- A. These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2022.
- B. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Appointed Actuary) Regulations, 2017 and any amendments made thereafter shall be repealed from the date these Regulations come into force.
- C. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- D. These Regulations shall be reviewed once in every three years from date of notification, unless the review or repeal or amendment is warranted earlier.

2. Definitions. –

- A. In these Regulations, unless the context otherwise requires ---
 - i. "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
 - ii. "Actuary" means an actuary as defined in clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Actuaries Act 2006;
 - iii. "Appointed Actuary" means an actuary mentioned in Regulation 3(A) of these Regulations;
 - iv. "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - v. "Institute of Actuaries of India" means a statutory body established under section 3 of The Actuaries Act 2006 (35 of 2006);
 - vi. "Professional Standard" means the standard of practice specified by the Institute of Actuaries of India by issue of Guidance Notes/Actuarial Practice Standard to its members.
- B. All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Procedure for Appointment of an Appointed Actuary. ---

A. An insurer registered to carry on insurance business in India shall, subject to Regulation 3(B) and Regulation

3(F) of these Regulations, appoint an actuary, who shall be known as the 'Appointed Actuary' for the purposes of the Act.

- B. A person shall be eligible to be appointed as an Appointed Actuary for an insurer, if he or she is:
 - i. Ordinarily resident in India;
 - ii. A Fellow member in accordance with the Actuaries Act, 2006;
 - iii. A Fellow Member of the Institute of Actuaries of India(IAI), satisfying the following requirements in case of a Life Insurer:
 - a. At least 12 years of experience in the area of Life Insurance and out of which at least 7 years shall be post fellowship experience.
 - Provided, if the applicant has passed the Specialist Application or Specialist Advanced level subject in Life Insurance from Institute of Actuaries of India or from any other institute or body with which IAI has Mutual Recognition Agreement, the experience criteria including post fellowship experience criterion as mentioned in Regulation 3(B)(iii)(a) above shall be reduced by 2 years.
 - b. At least 3 years post fellowship experience out of 7 years or 5 years as applicable, as specified under Regulation 3B(iii)(a) shall be in the preparation or review of annual statutory valuation or product pricing of an Indian Life Insurer.
 - Notwithstanding above, experience in the area of Life Insurance as a Peer Reviewer or Independent Actuary or Panel Actuary or Actuary certifying the reinsurance returns for Life reinsurance business or experience in actuarial consultancy in Life Insurance business or relevant experience with the Authority shall also be considered.
 - c. At least 3 years of experience shall be in the role of middle or senior level management.
 - iv. A Fellow Member of the Institute of Actuaries of India(IAI), satisfying the following requirements in case of a General Insurer:
 - a. At least 9 years of experience in the area of General Insurance and out of which at least 4 years shall be post fellowship experience.
 - Provided, if the applicant has passed the Specialist Application or Specialist Advanced level subject in General Insurance from Institute of Actuaries of India or from any other institute or body with which IAI has Mutual Recognition Agreement, the experience criteria including post fellowship experience criterion as mentioned in Regulation 3(B) (iv)(a) above shall be reduced by 2 years.
 - b. At least 2 years post fellowship experience out of 4 years or 2 years as applicable, as specified under Regulation 3B(iv)(a) shall be in the preparation or review of annual statutory valuation or product pricing of an Indian General Insurer.
 - Notwithstanding above, experience in the area of General Insurance as a Peer Reviewer or Panel Actuary or Actuary certifying reinsurance returns for General reinsurance business or experience in actuarial consultancy in General Insurance business or relevant experience with the Authority shall also be considered.
 - c. At least 3 years of experience shall be in the role of middle or senior level management.
 - v. A Fellow Member of the Institute of Actuaries of India(IAI), satisfying the following requirements in case of a Health Insurer:
 - a. At least 9 years of experience in the area of General or Health Insurance and out of which at least 4 years shall be post fellowship experience.
 - Provided, if the applicant has passed the Specialist Application or Specialist Advanced level subject in General or Health Insurance from Institute of Actuaries of India or from any other institute or

body with which IAI has Mutual Recognition Agreement, the experience criteria including post fellowship experience criterion as mentioned in Regulation 3(B)(v)(a) above shall be reduced by 2 years.

- b. At least 2 years post fellowship experience out of 4 years or 2 years as applicable, as specified under Regulation 3B(v)(a) shall be in the preparation or review of annual statutory valuation or product pricing of an Indian General or Health Insurer.
 - Notwithstanding above, experience in the area of General or Health Insurance as a Peer Reviewer or Panel Actuary or Actuary certifying reinsurance returns for General or Health reinsurance business or experience in actuarial consultancy in General or Health insurance business or relevant experience with the Authority shall also be considered.
- c. At least 3 years of experience shall be in the role of middle or senior level management.
- vi. An employee of the insurer on full time basis;
- vii. A person who has not committed any professional or other misconduct;
- viii. Not an Appointed Actuary of any other insurer in India;
- ix. A person who possesses a Certificate of Practice issued by the Institute of Actuaries of India;
- x. Not over the age of 70 years.
- C. Provision for existing Appointed Actuaries as on date of notification of these Regulations:
 - The existing Appointed Actuaries as on the date of notification of these Regulations are eligible to continue as Appointed Actuary of the respective insurer.
- D. An insurer shall seek the approval of the Authority for the appointment of Appointed Actuary, submitting the application in the format as may be specified from time to time.
- E. The Authority shall, within thirty days from the date of receipt of application, either accept or reject the same.
 - Provided that before rejecting the application, the Authority shall give an opportunity of being heard to the insurer.
- F. An insurer, who is unable to appoint an Appointed Actuary in accordance with Regulation 3(B) shall make an application to the Authority in writing for relaxation of any of the eligibility conditions. The Authority may grant relaxation of one or more conditions. However, there shall be no relaxation in respect of conditions under Regulations 3(B)(ii), 3(B)(vii) & 3(B)(ix).
- G. The appointment of an Appointed Actuary shall take effect on or after the date of approval by the Authority.
- **4. Effect of rejection of the application.** ---The insurer shall, within four weeks of rejection of the application referred to under Regulation 3(E), apply to the Authority under Regulation 3(D) for the appointment of a person as an Appointed Actuary other than the one rejected by it under Regulation 3 (E).
- 5. Carrying on business without Appointed Actuary. -
 - a) No insurer shall carry on the business of insurance/reinsurance without an Appointed Actuary. Any non-compliance in this regard shall attract appropriate actions under the relevant provisions of the Insurance Act, 1938.
 - b) The Authority, on request of the insurer for relaxation of the provisions under Regulation 5(a), may grant relaxation for such period as may deem appropriate but not exceeding one year.
 - c) The Chairperson of the Authority may issue circular(s) from time to time regarding the transitory provisions for consideration of relaxation referred under Regulation 5(b) above
- 6. Cessation of Appointment of Appointed Actuary. -
 - A. An Appointed Actuary shall be given a notice of withdrawal of approval by the Authority on the following grounds:
 - i. that he or she ceases to be eligible in accordance with sub-regulation (B) of Regulation (3), or;
 - ii. that he or she has, in the opinion of the Authority, failed to perform adequately and properly the

duties and obligations of an Appointed Actuary under these Regulations.

- B. The Authority after serving a notice to such Appointed Actuary shall grant an opportunity of being heard and thereafter issue appropriate order either withdrawing approval or revocation of the notice issued.
- C. If a person ceases to be an Appointed Actuary of an insurer otherwise than on the grounds mentioned in Regulation 6(A), the insurer and the Appointed Actuary shall intimate the Authority the reasons there for within one week of such cessation.
- D. The insurer in consultation with Appointed Actuary shall endeavour to avoid delay in submission of annual statutory returns arising from cessation of services of Appointed Actuary.

7. Powers of Appointed Actuary: —

- A. An Appointed Actuary shall have access to all such information and documents in possession or under control, of the insurer if the same access is necessary for the proper and effective performance of the functions and duties of the Appointed Actuary.
- B. The Appointed Actuary may seek any information for the purpose of Regulation 7(A) of these Regulations from any officer or employee of the insurer.
- C. The Appointed Actuary shall be entitled:
 - i. to attend, speak and discuss on any matter in meetings of the management including directors meeting of the insurer and in meetings of the shareholders or the policyholders of the insurer:
 - a. that relates to the actuarial advice given to the directors;
 - b. that may affect the solvency of the insurer;
 - c. that may affect the ability of the insurer to meet the reasonable expectations of policyholders; or
 - d. on which actuarial advice is necessary.
- D. An Appointed Actuary shall be entitled to make any statement to insurer, for the purpose of the performance of his or her functions as Appointed Actuary. This is in addition to any other privilege conferred upon an Appointed Actuary under any other Regulations.
- E. No provision of the letter of appointment of the Appointed Actuary, shall restrict or prevent his or her duties, obligations and privileges under these Regulations.
- **8. Duties and obligations.** -- In particular and without prejudice to the generality of the foregoing matters, and in the interests of the insurance industry and the policyholders, the duties and obligations of an Appointed Actuary of an insurer shall include: -
 - i. Ensuring that all the requisite records have been made available to him or her for the purpose of conducting actuarial valuation of liabilities and assets of the insurer;
 - ii. Rendering actuarial advice to the management of the insurer, in particular in the areas of product design and pricing, insurance contract wording, investments and reinsurance;

iii.

- a. Identifying and monitoring the risks associated with the insurer's ability to maintain the solvency at all times;
- b. Reporting those risks to the Board of the insurer where the Appointed Actuary believes that there are material concerns which may adversely affect the solvency of the insurer with recommendations on actions to be taken for rectification of solvency position and informing the Authority, if the insurer fails to take necessary steps to rectify the situation;
- iv. Complying with the provisions of the section 64V of the Act in regard to certification of the assets and liabilities that have been valued in the manner required under the said section;
- v. Complying with the provisions of the section 64 VA of the Act in regard to maintenance of required control level of solvency margin in the manner required under the said section;
- vi. Drawing the attention of management of the insurer, to any matter on which he or she thinks that action is required to be taken by the insurer to avoid any contravention of the Act of such a nature that it may affect the interests of the policyholders;

- vii. Complying with the Authority's directions from time to time;
- viii. Ensuring that overall pricing policy of the insurer is in line with the overall underwriting and claims management policy of the insurer;
- ix. Ensuring adequacy of reinsurance arrangements;
- x. Contributing to the effective implementation of the risk management system;
- xi. Complying with the provisions of section 21 of the Act in regard to further information required by the Authority;
- xii. In addition to the above, the duties of an Appointed Actuary of an insurer carrying on life insurance business shall include:
 - a. Certifying the actuarial report and abstract and other returns as required under section 13 of the Act;
 - b. Complying with the provisions of the section 112 of the Act in regard to recommendation of interim bonus or bonuses payable by life insurer to policyholders whose policies mature for payment by reason of death or otherwise during the inter-valuation period;
 - c. Rendering actuarial advice in respect of expenses of management of the insurer;
 - d. Ensuring that the premium rates of the insurance products are fair;
 - e. Certifying that the mathematical reserves have been determined in the manner prescribed in the extant provisions of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016 and taking into account the Guidance Notes /Actuarial Practice Standard issued by the Institute of Actuaries of India and any directions given by the Authority;
 - f. Ensuring that the policyholders' reasonable expectations have been considered in the matter of valuation of liabilities and distribution of surplus to the participating policyholders who are entitled for a share of surplus;
 - g. Submitting the actuarial advice in the interests of the insurance industry and the policyholders;
 - h. Coordinating the calculation of mathematical reserves;
 - i. Ensuring the appropriateness of the methodologies and underlying models used, as well as the assumptions made in the calculation of mathematical reserves;
 - j. Assessing the sufficiency and quality of the data used in the calculation of mathematical reserves;
 - k. Informing the Board of insurer about the reliability and adequacy of mathematical reserves;
- xiii. In addition to (i) to (xi) above, the duties of the Appointed Actuary of the insurer carrying on general insurance business or health insurance business include:
 - a. Ensuring that the premium rates of the insurance products are fair;
 - b. Certifying that claims reserves including reserves for incurred but not reported claims (IBNR) and other reserves (including reserves for incurred but not enough reported claims (IBNER) and premium deficiency reserve (PDR)) have been determined using actuarial principles and in the manner prescribed in the extant provisions of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of General Insurance Business) Regulations, 2016;
 - c. Rendering actuarial advice in respect of expenses of management of the insurer;
 - d. Coordinating the calculation of reserves for IBNR and other reserves (including reserves for IBNER and PDR);
 - e. Assessing the sufficiency and quality of the data used in the calculation of reserves for IBNR and other reserves including reserves for IBNER and PDR;
 - f. Informing the Board of insurer about the reliability and adequacy of reserves for IBNR and other reserves including reserves for IBNER and PDR;
 - xiv. informing the Authority in writing of his or her opinion, within a reasonable time,
 - a. any contravention of the Act or any other acts by the insurer is of such a nature that it may affect significantly the interests of the Policyholders or beneficiaries of policies issued by the insurer;

- b. whether the directors of the insurer have failed to take such action as is reasonably necessary to enable him or her to exercise his or her duties and obligations under these Regulations; or
- c. whether an officer or employee of the insurer has engaged in conduct in order to prevent him or her exercising his or her duties and obligations under these Regulations.
- xv. If an Appointed Actuary is disqualified to act as an Actuary, he or she ceases to exist as Appointed Actuary forthwith:
- xvi. while carrying out his or her duties and obligations, the Appointed Actuary shall pay due regard to generally accepted actuarial principles and practices;
- xvii. the Appointed Actuary shall inform the Authority of any disciplinary proceedings initiated against him or her by any entity within seven days from the date of such initiation.

9. Conflict of interest --

- The Appointed Actuary shall function in accordance with these Regulations, and he or she shall not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing his or her role as Appointed Actuary in accordance with these Regulations;
- b. The insurer and the Appointed Actuary shall comply with the provisions of Regulation 9(a) above at all times during his or her tenure as Appointed Actuary

10. Obligations of the insurer --

- a. The insurer shall provide adequate resources to the Appointed Actuary;
- b. In order to build up or develop sufficient actuarial expertise, life insurers shall have at least two actuaries and General/Standalone Health insurers shall have at least one actuary in addition to Appointed Actuary for pricing and valuation purposes within such period as notified by the Authority from time to time;
- c. The insurer shall ensure that different functions of the insurer provide adequate support to the Appointed Actuary in discharging his or her duties and obligations;
- d. The insurer shall ensure that the Appointed Actuary does not simultaneously perform the role of Chief Risk Officer of the insurer defined as per the extant provisions of Corporate Governance Guidelines issued by the Authority. The Chief Risk Officer however may preferably be an Actuary independent of the Appointed Actuary.
- e. The insurer shall ensure that the Appointed Actuary reports directly to Chief Executive Officer of the insurer.

11. Applicability to reinsurance business --

These Regulations shall apply to reinsurers carrying on reinsurance business in India except in case of a foreign insurer engaged in re-insurance business through a branch established in India.

12. Power of the Authority to issue clarifications etc.

In order to remove any doubts or difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions under these Regulations, the Chairperson may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./446/2022-23]